-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना पैलानी पुलिस द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्तों को 48 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को 48 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 03.12.2025 को थाना पैलानी क्षेत्रान्तर्गत सिंधनकला के पास कुछ लोगो द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट की घटना कारित कि गई थी तत्पश्चात ट्रक चालक की सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 04.12.2025 को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति सिंधन जाने वाले घाट के पास बैठे है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में बताया कि हम लोगो के द्वारा ही ट्रक चालक से मारपीट घटना कारित की गई थी। पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते मा0 न्यायालय भेजा गया। अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आनंद उर्फ शनि पुत्र राजू निवासी सिंधनकला थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. सतीश उर्फ लूली पुत्र राजकरन निवासी सिंधनकला थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- ➢ मु0अ0सं0- 307/25 धारा 191(2)/191(3)109/115(2)/324(4)/3(5) बीएनएस एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राजेश वर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी
2. उ0नि0 श्री रवि कुमार
3. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार
4. हे0 कां0 विपुल मिश्रा
5. हे0 कां0 शारुन अली
6. कां0 सुन्दरम